

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-17/2016-32 (आवंटन)/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/कैमूर/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/भागलपुर/बाँका/मुंगेर/जमुई/लखीसराय/शेखपुरा/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/वैशाली/सीतामढ़ी/शिवहर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/खगड़िया/पूर्णिया/किशनगंज/अररिया/कटिहार।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अंतर्गत अन्न भण्डारण योजना के तहत धातु कोठिला वितरण हेतु 499.983 लाख रुपये (चार करोड़ निन्यानवे लाख अन्तानवे हजार तीन सौ रुपये) के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए 389.99548 लाख रुपये (तीन करोड़ नवासी लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ अड़तालीस रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹3,89,99,548 (तीन करोड़ नवासी लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ अड़तालीस रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2689-दिनांक-14.06.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अंतर्गत अन्न भण्डारण योजना के तहत धातु कोठिला वितरण हेतु 499.983 लाख रुपये (चार करोड़ निन्यानवे लाख अन्तानवे हजार तीन सौ रुपये) के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए 389.99548 लाख रुपये (तीन करोड़ नवासी लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ अड़तालीस रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹3,89,99,548 (तीन करोड़ नवासी लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ अड़तालीस रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

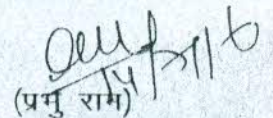
2. उपरोक्त ₹3,89,99,548 (तीन करोड़ नवासी लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ अड़तालीस रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0106-इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना, विपत्र कोड-P2401001090106, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5022 विषयशीर्ष-3301-सब्सिडी मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 32 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 32 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रीकरण कोषाग/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 32 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

स्वीकृत्यादेश संख्या-2689 दिनांक-14.06.2016 द्वारा सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए अन्य भण्डारण योजना के तहत धातु कोठिला वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401001090106 (राशि रूपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	15,24,936	15,24,936
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	11,47,356	11,47,356
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	10,50,728	10,50,728
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	6,54,472	6,54,472
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	11,33,552	11,33,552
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भगुआ।	6,95,884	6,95,884
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	15,29,808	15,29,808
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	4,28,736	4,28,736
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	3,13,432	3,13,432
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	8,61,532	8,61,532
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	9,35,424	9,35,424
12	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	11,14,876	11,14,876
13	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	8,52,600	8,52,600
14	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	4,65,276	4,65,276
15	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	7,04,816	7,04,816
16	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	3,68,648	3,68,648
17	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	2,49,284	2,49,284
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	15,20,876	15,20,876
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	13,50,356	13,50,356
20	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	10,78,336	10,78,336
21	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	17,83,152	17,83,152
22	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	13,36,552	13,36,552
23	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	12,57,788	12,57,788
24	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	2,44,412	2,44,412
25	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	18,89,524	18,89,524
26	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	14,51,856	14,51,856
27	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	15,20,876	15,20,876
28	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	18,38,368	18,38,368
29	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	17,55,544	17,55,544
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय।	11,84,708	11,84,708
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	7,04,816	7,04,816
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	8,33,924	8,33,924
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	7,83,580	7,83,580
34	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	5,94,384	5,94,384
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	11,57,100	11,57,100
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	5,80,580	5,80,580
37	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	10,04,444	10,04,444
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	10,97,012	10,97,012
	कुल	3,89,99,548	3,89,99,548

कुल- (तीन करोड़ नवारी लाख निम्नानवे हजार पाँच सौ अड़तालीस रूपये) मात्र।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।